उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 66/2019

GCMS NO. : 2019/00210

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. मोतीलाल पुत्र पन्नालाल
जाति– नाई, निवासी– अमरापुरा,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली,
राज0।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 15/03/2019

उपस्थितः– 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 25/02/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 105 रकबा 37–17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 104 रकबा 12–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 106 रकबा 04–01 बीघा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 109 रकबा 22–14 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सहखातेदार के रूप मे बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के अपने हक हिस्से की भूमि को निर्विवाद एवं बरोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग एवं मुतालिक तमाम काश्त कार्य करता चला आ रहा है। वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जब तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा प्रथम बार वादी के नाम का इन्द्राज किया उस दरम्यान वादी का नाम मोतीराम राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया जो गलत है। वादी का सही एवं शुद्ध व पूरा नाम मोतीलाल है तथा वादी को गांव में व अपने जान पहचान व रिश्तेदारी में भी वादी को मोतीलाल के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है। जो वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं अपने पुत्र दिलीप सैन की दसवी कक्षा की बोर्ड अंकतालिका से बखूबी साबित व प्रमाणित है। वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व वादी के पुत्र दिलीप सैन की दसवी कक्षा [illegible] तालिका की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिन्हे प्रार्थना पत्र का [illegible] के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी [illegible] नाम मोतीराम दर्ज होने व वादी के अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम मोतीलाल दर्ज होने के कारण वादी को अपनी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड के उपयोग उपभोग मे सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यो में बाधा एवं परेशानी उत्पन्न होती है तथा राज्य सरकार एवं केन्द सरकार द्वारा किसानो की कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले परिलाभ बैंको के जरिये दिये जाते है। इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मोतीराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:48:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अन्य सभी दस्तावेज में वादी का नाम मोतीलाल होने से सरकार द्वारा दिये जाने वाले योजनान्तर्गत किसानो के फायदे एवं लाभ से भी वादी को वंचित होना पड़ता है तथा ना-ना प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड़ता है तथा वादी का सही नाम मोतीलाल होने से वादी को अपने राजस्व रेकर्ड को दुरूस्ती करवाने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व मोलकानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है, किन्तु वाद की परिस्थितिया इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई दुरूस्त करावें। वाद कारण दिनांक 05.03.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर वर्तमान में दिये जा रहे केन्द्र सरकार द्वारा किसानो को पेंशन योजना के तहत 6,000/- रूपये हेतु अपना आवेदन पत्र ई-मित्र पर दर्ज करवाने गया तब ई-मित्र पर वादी का आवेदन दर्ज नही हुआ और ई-मित्र पर वादी को बताया की आपकी उक्त राजस्व रेकर्ड में आपका नाम मोतीराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजो में आपका नाम मोतीलाल दर्ज है। इस कारण आपका नाम ऑनलाईन नही किया जा सकता, क्योकि आपके राजस्व रेकर्ड और अन्य दस्तावेजात में नाम अलग अलग होने से कम्प्यूटर स्वीकार नही करता है। इसलिए पहले आप अपने राजस्व रेकर्ड को उसके पश्चात ही आपका उक्त आवेदन पत्र दर्ज एवं ऑनलाईन किया जा सकेगा। वादी को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादी अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय जैतारण के समक्ष उपस्थित हुआ तब तहसीलदार महोदय ने वादी का नाम उसके राजस्व रेकर्ड में न्यायालय के आदेश द्वारा दुरूस्त करवाने के लिए कहा। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 05.03.2019 को उत्पन्न होकर दिन बदिन उत्पन्न हो रखा है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/3072 दिनांक 11.09.2020 में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मौजा अमरपुरा प० राबड़ियावास तहसील जैतारण(पाली) की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खसरा नम्बर 105, 104, 106, 109 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जो सही है। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होनें पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम मोतीराम दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की फोटो प्रतिलिपियां में प्रार्थी का नाम मोतीलाल है। बिन्दू संख्या [illegible] सही है। बिन्दू संख्या 5 से 10 कानूनी बिन्दू है। बिन्दू संख्या [illegible] प्रार्थी का नाम मोतीराम के स्थान पर मोतीलाल दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 105 रकबा 37-17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 104 रकबा 12-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 106 रकबा 04-01 बीघा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 109 रकबा 22-14 बीघा किस्म बारानी दोयम में मोतीराम, सत्यनारायण, रामेश्वर, सोहन, गौतम पि० पन्ना, अन्य खातेदारान् के साथ सहखातेदार दर्ज हैं। परिवार राशन कार्ड प्रार्थी ग्राम राबड़ियावास में प्रार्थी का नाम मोतीलाल पुत्र पन्नालाल दर्ज हैं। इसी प्रकार आधार कार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड में भी वादी का नाम मोतीलाल पुत्र पन्नालाल दर्ज है। मौका फर्द पटवारी राबड़ियावास दिनांक 03.08.2020 के अनुसार मोतीलाल एवं मोतीराम दोनों वस्तुतः एक ही व्यक्ति है जो पन्ना के पुत्र हैं तथा वादी का सही नाम दस्तावेज अनुरूप मोतीलाल है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी इस तथ्य की पुष्टि की है। हमारा यह भी विनम्र अभिमत है कि स्थानिय क्षेत्र में काश्तकारों का नाम भू-अभिलेख में दर्ज करते समय राम और लाल से सम्बन्धित प्रविष्टियों अक्सर बिना दस्तावेजों के हो जाती है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में काश्तकारों के प्रायः आधे अधूरें नाम प्रचलन में होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादग्रस्त आराजी में खातेदार का सही नाम मोतीलाल पुत्र पन्नालाल दर्ज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बख़ूबी साबित होनें, सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का राबड़ियावास भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 105 रकबा 37-17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 104 रकबा 12-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 106 रकबा 04-01 बीघा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 109 रकबा 22-14 बीघा किस्म बारानी दोयम में खातेदार मोतीलाल के नाम की भू-अभिलेख में अंकित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''मोतीराम'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ''मोतीलाल'' दर्ज किये जाने के निर्देश दिये जाते है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)